Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 109 /2015

Raj Narayan Mandal ....Appellant

Versus

Lilanand Mandal & Anr. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.05.2025	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा BLDR Case No-195/2012-13 में दिनांक-19.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-24.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि अंचल - नरपतगंज अन्तर्गत मौजा-रेवाही, खाता-143,144 खेसरा संख्या-890,818, 889 की प्रश्नगत जमीन उनको भूदान पर्चा द्वारा प्राप्त है, जिसका जमाबंदी कराकर दखल कब्जा में है। तथा यह कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिमान्य नहीं है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि उक्त जमीन उनके पूर्वजों की खरीदगी की जमीन है। तथा यह कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर गलत दावा किया जा रहा है। तथा यह कि अपीलार्थी का दावा समय-समय पर विभिन्न न्यायालय के स्तर से खारिज होता रहा है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में Title Suit का अंतिम रूप से निर्णय उनके पक्ष में हुआ है। जो Record पर है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख- वाद पत्र, Reply/ Rejoinder, लिखित बहस आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी की ओर से अपने दावे को प्रमाणित करने हेतु Comprehensive Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। नामांतरण वाद संख्या-651/01-02 के विरूद्ध दायर नामांतरण अपील वाद संख्या-21/2002-03 के खारिज हो जाने के बावजूद अंचल अधिकारी, नरपतगंज द्वारा पुनः उसी जमीन के संदर्भ में दायर विविध नामांतरण वाद संख्या-11/07-08 को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी राजनारायण मंडल के पक्ष में नामांतरण कर दिया गया, जो दाखिल-खारिज (Mutation) से संबंधित सरकारी नियमों एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसा मानने का पर्याप्त आधार है कि अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी, नरपतगंज के साथ मिलकर प्रश्नगत जमीन के संबंध में अपने पक्ष में नामांतरण कराया गया है। जो इनके गलत कार्यकलाप का परिचायक है।	

10.05.2025

अतः उपरोक्त Findings के आधार पर निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधिमान्य एवं सही पाते हुए इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। नामांतरण वाद संख्या-11/07-08 (अंचल अधिकारी, नरपतगंज) को Void ab initio माना जाएगा। जिला पदाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, नरपतगंज के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित करते हुए विभाग को भेजें। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया, निम्न न्यायालय तथा संबंधित पक्ष को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस करें। अंचल अधिकारी, नरपतगंज को आदेश दिया जाता है को निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक-19.07.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत जमीन का मापी/सीमांकन कराकर प्रतिवादीगण का विधिमान्य दखल कब्जा सुनिश्चित करें।

10/5/2025

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

10/5/2025

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।